भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 287
19 नवंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषयः भंडारण के अभाव के कारण आपात बिक्री
287. श्री मलूक नागरः
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसान पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण अपनी उपजों की आपात बिक्री करने के लिए विवश है;
(ख) सरकार द्वारा किसानों के उत्पाद हेतु गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं चूंकि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दुगुना करने का है; और
(ग) सरकार द्वारा दूध, सब्जियां आदि को शहरों और सुदूर क्षेत्रों तक ले जाने की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) कृषि विपणन राज्य का विषय है और भारत सरकार कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज की कीमतें एक समय-बिन्दु पर तरह-तरह के कारकों पर निर्भर होती हैं, जैसे उपज की मांग और आपूर्ति, जलवायु दशाएं, उपज की नाशवान प्रकृति और परिवहन की उपलब्धता। गुणवत्ता मानक की भी किसी जिंस की कीमत में अहम भूमिका होती है। कृषि उपज की कीमत प्राय: फसल कटाई के तुरंत बाद कम होती है क्योंकि बाजार में आपूर्ति बढ़ी होती है जो उसके बाद धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर आ जाती है।

सरकार कृषि विपणन अवसरंचना (एएमआई) स्कीम के माध्यम से भंडारण क्षमता में सुधार के लिए देश में किसानों के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है, यह योजना समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना है। एएमआई स्कीम के तहत संबंधित कृषकों, कृषक/उत्पादक समूह पंजीकृत कृषक उत्पाद संगठनों (एफपीओ) आदि को सहायता प्रदान की जाती है।

समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) में फसलोतरांत प्रबंधन और विपणन अवसंरचना जैसे शीत भंडारों, राइपेनिंग चैम्बर, पैक घर, रीफर वाहनों के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि किसान अपनी उपज की विपणनशीलता में सुधार कर सकें।

सरकार भंडारगृहों और शीत भंडारगृहों आदि सहित विपणन अवसंरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि और संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) का कार्यान्वयन कर रही है।

(ग) ऐसी कई सरकारी योजनाएं है जिनके तहत किसानों को दूध और सब्जियों सहित अपने उत्पाद को शहरों एवं अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाने में सहायता के लिए रीफर परिवहन सुविधा हेतु सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी कुछ योजनाओं की सूची नीचे दी गई है जिनके तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(i) समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) की स्कीम के तहत रीफर वैन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
(ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत, दूध की गुणवत्ता बचाए रखने/बनाए रखने हेतु विपणन अवसंरचना अर्थात- इन्सूलेटेड/रेफ्रिजरेटेड टैंक/वैन, डीप फ्रीजर की व्यवस्था की गई है।
(iii) डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम (डीईडीएस) के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, परिरक्षण, परिवहन, प्रसंस्करण और दुग्ध के विपणन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
(iv) समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-स्कीम कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) के तहत ग्रेडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता परीक्षण, रीफर वैन आदि सहित फसलोपरांत कार्यकलाप हेतु सचल अवसंरचना के लिए सहायता की अनुमति दी गई है।

*****